POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.06.2026

1.थाना फेस-3 पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया एप के माध्यम से लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले 10 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 20 मोबाइल फोन व ₹10200/- नकद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.06.2026 को थाना फेस-3 पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया एप (Facebook, Instagram) के माध्यम से लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले 10 शातिर अभियुक्त 1. एलन एंटनी पुत्र वी0जे एंटनी 2. अंकित कुमार पुत्र जयशंकर प्रसाद 3. राहुल पुत्र मनोज प्रसाद 4. शकील पुत्र मइमुद्दीन 5. राजशेखर पुत्र मणिक्यम 6. गुरु प्रसाद पुत्र शिव शरण अप्पा 7. विनय डीपी पुत्र परमेश्वर 8. विनोद कुमार पुत्र मुनीरेड्डी 9. संतोष पुत्र मनोहर निवासी 10. चेतन पुत्र शांतइया को सेक्टर-121 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 20 मोबाइल फोन, 10200 रुपये नकद व 04 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- विगत लगभग 02 माह से NCRP पोर्टल/समन्वय पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबर, आईएमईआई एवं बैंक खातों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 18 शिकायतें कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में दर्ज है। साइबर सेल/ स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न फर्जी बैंक खातों के माध्यम से साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। ठगी के लिए प्रयुक्त बैंक खातों को शीघ्र बंद कर नए खाते उपयोग में लिए जाते थे तथा सिम/मोबाइल नंबर भी लगातार बदले जाते थे, जिससे पहचान छिपाई जा सके। पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया गया कि वे Facebook, Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉटरी एवं इनाम जीतने संबंधी फर्जी विज्ञापन प्रसारित करते थे तथा लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने संपर्क नंबर साझा करते थे। इसके बाद आमजन को लॉटरी जीतने का झांसा देकर ₹50 में फर्जी लॉटरी टिकट भेजा जाता था। बाद में उन्हें 12 लाख रुपये की लॉटरी लगने का प्रलोभन देकर टीडीएस, जीएसटी, एनओसी, इनकम टैक्स क्लीयरेंस, आरबीआई क्लीयरेंस एवं फाइनल ट्रांसफर चार्ज के नाम पर अलग-अलग किस्तों में धनराशि अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई जाती थी। अभियुक्तगण दक्षिण भारत के लोगों को टारगेट कर उनकी भाषा में बातचीत करते थे ताकि विश्वास बनाया जा सके। ठगी के लिए फर्जी इनकम टैक्स विभाग एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाण पत्र तैयार कर व्हाट्सएप पर भेजे जाते थे। इस कार्य में प्रयुक्त फर्जी बैंक खाते एवं सिम कार्ड एक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए वे लगातार सिम एवं मोबाइल नंबर बदलते रहते थे तथा साक्ष्य छिपाने हेतु सिम नष्ट कर देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. एलन एंटनी पुत्र वी0जे एंटनी ग्राम व थाना सर्जापुर, बेंगलुरु (कर्नाटक), उम्र 27 वर्ष, शिक्षा- 12वीं।
2. अंकित कुमार पुत्र जयशंकर प्रसाद निवासी कतरी सराय, थाना कतरी सराय, नांलदा (बिहार), उम्र 18 वर्ष, शिक्षा- B.sc (Appearing).
3. राहुल पुत्र मनोज प्रसाद निवासी कतरी सराय, थाना कतरी सराय, नांलदा (बिहार), उम्र 18 वर्ष, शिक्षा- 12वीं।
4. शकील पुत्र मइमुद्दीन निवासी ग्राम कलबुर्गी, थाना कलबुर्गी, बेंगलुरु (कर्नाटक), उम्र 29 वर्ष, शिक्षा- 12वीं।
5. राजशेखर पुत्र मणिक्यम निवासी ग्राम बनारगटा, थाना बनारगटा, बेंगलुरु (कर्नाटक), उम्र 29 वर्ष, शिक्षा- 12वीं।
6. गुरु प्रसाद पुत्र शिव शरण अप्पा निवासी ग्राम गुलबर्गा, थाना गुलबर्गा, बेंगलुरु (कर्नाटक), उम्र 22 वर्ष, शिक्षा- 10वीं।
7. विनय डीपी पुत्र परमेश्वर निवासी ग्राम मणि केरी, कुडकु (कर्नाटक), उम्र 28 वर्ष, शिक्षा- 9वीं।
8. विनोद कुमार पुत्र मुनीरेड्डी निवासी ग्राम कोडिचिकनाहल्डी रोड, थाना बोमनाहली, कर्नाटक, उम्र 33 वर्ष, शिक्षा- 10वीं।
9. संतोष पुत्र मनोहर निवासी ग्राम वीजिपुरा, थाना चिक्काजाला, बेंगलुरु (कर्नाटक), उम्र 24 वर्ष, शिक्षा- 9वीं।
10. चेतन पुत्र शांतइया निवासी कलबुर्गी, थाना कलबुर्गी, बेंगलुरु (कर्नाटक), उम्र 21 वर्ष, शिक्षा- 10वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 338/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 20 मोबाइल फोन
2. 10200 रुपये नकद व 04 डेबिट कार्ड

2.थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 सिम कार्ड, 04 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 35 एटीएम कार्ड, 03 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 04 मेट्रो कार्ड, 09 चैक बुक, 04 पासबुक, 01 वाईफाई राउटर व 01 टेबलेट (लेनोवा कम्पनी) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.06.2026 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्त 1.प्रमांशु कुमार पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह 2.प्रदीप सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह 3.कुलदीप सिह पुत्र राजेश पाल सिंह को फ्लैट नंबर डी-44, सेक्टर-122 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 15 सिम कार्ड, 04

लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 35 एटीएम कार्ड, 03 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 04 मेट्रो कार्ड, 09 चैक बुक , 04 पासबुक, 01 वाईफाई राउटर व 01 टेबलेट (लेनोवा कम्पनी) बरामद हुए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेफार्म पर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करके लोगों को ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट https://reddybook.pink/home एवं एप के माध्यम से रूपये दोगुना करने का प्रलोभन देकर ठगी करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रमांशु कुमार पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम अंगुठी, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा वर्तमान पता डी-44, सेक्टर-122 नोएडा उम्र 20 वर्ष शिक्षा- पॉलिटेक्निक।
2. प्रदीप सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामनगर, थाना नारकी, जिला फिरोजाबाद वर्तमान पता डी-44, सेक्टर-122 नोएडा उम्र 25 वर्ष शिक्षा- बीटेक।
3. कुलदीप सिह पुत्र राजेश पाल सिंह निवासी ग्राम चलावली, थाना सगरोली, जिला एटा वर्तमान पता डी-44, सेक्टर-122, नोएडा उम्र 26 वर्ष शिक्षा-12th।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 237/2026 धारा 111,318(4) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 15 सिम कार्ड
2. 04 लैपटॉप
3. 14 मोबाइल फोन
4. 35 एटीएम कार्ड
5. 03 पैन कार्ड
6. 03 आधार कार्ड
7. 04 मेट्रो कार्ड
8. 09 चैक बुक
9. 04 पासबुक
10. 01 वाईफाई राउटर
11. 01 टेबलेट (लेनोवा कम्पनी)

3.थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के बिजली के तार, ₹9500/- नकद व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी, 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.06.2026 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. वसीम पुत्र इश्तियाक 2. शाहरुख पुत्र यामीन उर्फ बेनामी 3. रिहान पुत्र रईस को थाना क्षेत्रांतर्गत निजी कंपनी के पास सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 27 बंडल सामान्य बिजली के तार, 04 बंडल मोटे बिजली के तार, 06 प्लास्टिक कट्टों में कटपीस बिजली के तार, बिजली की खोखली तार, 04 किलो 100 ग्राम कॉपर का तार, 9500 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी रजि0नं0-UP14GY3669, 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.06.2026 व दिनांक 16.06.2026 को अलग-अलग कंपनी से ये सामान चोरी किया था। थाना इकोटेक-3 पर चोरी हुए सामान के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. वसीम पुत्र इश्तियाक निवासी उत्तरांचल विहार, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष।
2. शाहरुख पुत्र यामीन उर्फ बेनामी निवासी पुराना कठेरा मोड़, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर, उम्र 24 वर्ष।
3. रिहान पुत्र रईस निवासी मेवाती मोहल्ला कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0सं0 246/2026 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 247/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 27 बंडल सामान्य बिजली के तार, 04 बंडल मोटे बिजली के तार
2. 06 प्लास्टिक कट्टों में कटपीस बिजली के तार, बिजली की खोखली तार
3. 04 किलो 100 ग्राम कॉपर का तार
4. 9500 रुपये नकद
5. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी रजि0नं0-UP14GY3669, 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट